न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2024/518

1. गिर्राज पुत्र उमराव जाति मीना, निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामनाथ पुत्र श्री मूलचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ़, हाल आंधी जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

दिनांकः **26.11.2025**

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2024 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम थली पटवार हल्का थली तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 333, रकबा 0.51 हैक्टयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 302 सिवायचक भूमि रही है तथा उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 302 में से 2 बीघा भूमि दिनांक 23.12.1977 को रामनाथ पुत्र मूलचन्द गुर्जर के नाम से आवंटित की गई जबकि उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक आवंटी का कभी भी कब्जा नही रहा है तथा गलत आवंटन के आधार पर आवंटल के समय से लेकर आज तक आवंटन नियमों व शर्तो की पालना आवंटी ने आज तक नही की है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से पूर्व ही से अपीलान्ट का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है और अपीलान्ट को अपीलान्ट के कब्जे से हटाना चाहता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन, आवंटन के नियमों व शर्तो के अनुसार नही होने से व आवंटी का मौके पर कब्जा नही होने से आवंटी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट को अपीलान्ट के कब्जे से बेकाबिज कर स्वयं काबिज होना चाहता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटित भूमि गत खसरा नम्बर 302 हाल खसरा नम्बर 333 पर आवंटी का कब्जा नही है बल्कि अपीलान्ट का कब्जा है। आवंटन की शर्तो अनुसार आवंटित की गई भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होना आवश्यक है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन दिनांक 23.12.1977 व तहसीलीदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 409

P.T.O.

दिनांक 23.03.1978 आवंटन के नियमों व शर्तो व कब्जा के अभाव में निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटी ने आवंटन से लेकर आज तक किसी प्रकार का लगान राज्य सरकार को जमा नही कराया है तथा तहसीलदार ने भी उक्त लगान की जांच किये बिना ही बिना कोई पैनल्टी लगान के रूप में नामान्तरकरण में दर्ज नही कर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन आवंटन की शर्तो की पालना आवंटी द्वारा नही करने व भूमि को कृषि सुधार कर कृषि नही करने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है, फिर भी तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना कृषि कार्य किये ही एवं बिना आवंटन के नियमों व शर्तो की पालना के उक्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जो शुरू से ही शून्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है तथा आवंटन आदेश के अनुसार नामान्तरकरण की दोनों परतों के पीछे विभाजित खसरा नम्बर का ट्रेस बनाया जाना आवश्यक होता है ताकि आवंटी का कब्जा भी स्पष्ट हो व भविष्य में आवंटियों के मध्य कब्जे का कोई विवाद न हो जबकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 409 में मौका निरीक्षण नही किया गया तथा आवंटी ने आज तक अपने आवंटित भाग पर कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास भी नही किया व अपीलान्ट से कब्जा भी नही लिया एवं आवंटन नियमों व उप नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना आज तक रेस्पोडेन्ट ने नही की जबकि अपीलान्ट उक्त भूमि को काबिज खातेदार की हैसियत से कृषि योग्य व ऊपजाऊ किया है। जिसमें अपीलान्ट को स्वतः ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन नियमों व उप नियमों की पालना नही करने से आवंटन निरस्तनीय है तथा आवंटन करते समय आवंटन कमेटी द्वारा भी नियमों व उपनियमों की पूर्ण पालना नही करने से आवंटन निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटित भूमि की किस्म गैर मु0 राडा है जिसका आवंटन कानूनन भूमि की ऊपजाऊ किस्म किये बिना नही किया जा सकता। इस आधार पर भी आवंटन निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने असल आवंटन की नकल प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास कर लिया गया है किन्तु अपीलान्ट को आवंटन की नकल नही मिली है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 409 में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त अपील ठोस सारवान तथ्यों के आधार पर पेश की है। अपील के निस्तारण से पूर्व आवंटन मिलता है तो अपीलान्ट पेश करने के किये तत्पर रहेगा अन्यथा लैण्ड होल्डर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भूमिधारी है। जिन्होने नामान्तरकरण संख्या 409 तस्दीक कर दिया किन्तु उन्होने नामान्तरकरण के साथ आवंटन लिस्ट व आवंटन पट्टा नही है तथा भूमिधारी की पूर्ण जिम्मेदारी है जिन्होने कि वह जिस आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 409 खोला है। वह प्रस्तुत करें तथा आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में गैर विधिक प्रक्रिया द्वारा बिना कब्जा होते हुये अपीलान्ट के कब्जे की जगह आवंटन किया गया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य है जिसे निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन दिनांक 23.12.1977 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के

समाधान आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न प्रश्नगत भूमि की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2051 से 2054, 2055 से 2058, 2035 से 2039 एवं सम्वत् 2039 से 2042 के अवलोकन से विदित होता है कि खसरा नम्बर 302 की प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फसल काश्त की गई है जिससे अपीलार्थी के कथन कि भूमि पर आवंटी का कब्जा नही होने की पुष्टि नही होती है। आवंटन दिनांक 23.12.1977 को हुआ है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में दिनांक 29.05.1984 को बतौर खातेदार नामान्तरकरण संख्या 807 तस्दीक किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा आवंटन के लगभग 45 वर्षो के बाद आवंटन के सम्बन्ध में उज्र/आक्षेप उचित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर–प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।